

132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन के तहत आने वाले

वन ग्रामों का विवरण ।

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के अनपरा/पिपरी रेंज के अन्तर्गत मेंसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिविजन) को भारत सरकार के आदेश संख्या 8-10/94-एफ.सी. दिनांक 14.10.96 एवं उ0प्र0 राज्य सरकार के आदेश संख्या 6619/14-2-97-145(233)/94 दिनांक 22 मई, 1998 द्वारा रेणुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट, रेणुकूट तक वर्ष 1966 से 38.2591 हेक्टेयर वन भूमि पर निर्मित 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन के पट्टे का 25 वर्षों के लिये (दिनांक 09.02.1991 से 08.02.2016 तक) उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया गया था। लीज पर दी गयी उपरोक्त 38.2591 हेक्टेयर वनभूमि को पुनः 25 वर्षों हेतु (दिनांक 09.02.1916 से 08.02.2041 तक) लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है। उक्त पारेषण लाईन हेतु निम्नलिखित ग्रामों की वनभूमि पड़ रही है जिसका विवरण निम्नप्रकार है:-

क्रम सं०	वन ग्रामों के नाम	लम्बाई (मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	क्षेत्रफल (हे०)
1	2	3	4	5	6
1.	औड़ी	2423.5166	27.00	65434.9486	6.5435
2.	कुलंडोमरी	5298.7829	27.00	143067.1383	14.3067
3.	मकरा	6447.7400	27.00	174088.9800	17.4089
				कुल योग	38.2591

MP  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
पिपरी रेंज

सहायक वन संचालक/विभागीय, रेणुकूट-सोनभद्र  
अनपरा रेंज-



For - Hindalco Industries Limited  
Authorized Attorney

प्रभागीय वनाधिकारी  
रेणुकूट वन प्रभाग  
रेणुकूट - सोनभद्र

रेणुकूट वन प्रभाग-सोनभद्र